P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला आन्दोलन का बहुआयामी स्वरूप : भारतीय सन्दर्भ में

उदय पाल सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
नेहरु पी०जी० कॉलिज,
छिबरामऊ, कन्नौज

सारांश

स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों की स्थिति का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन का प्रयास किया गया। भारत में महिला आन्दोलन का स्वरूप भारतीय समाज के समान ही जटिल तथा अनेक स्तर वाला है। आवश्यकता है कि आन्दोलन के बहुआयामी स्वरूप को बनाये रखा जाए चाहे सैद्धान्तिक तौर पर इस प्रकार के आन्दोलन की अवधारणा अस्पष्ट लगती है। इस आन्दोलनों के राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर काम करने वाली इकाइयों के मध्य तारतम्य तथा सम्पर्क बना रहे। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर विभिन्न महिला समूहों व संगठनों द्वारा संचालित आन्दोलन में वैचारिक स्तर पर कतिपय बिन्दुओं पर सहमति प्रदर्शित होती है। महिला आन्दोलन वैयक्तिक स्तर पर महिलाओं में साक्षरता का प्रसार चाहता है, ताकि महिलाएँ अपने अधिकारों के स्रोत को तथा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को समझ सकें क्योंकि भारत में स्त्रियों को समान संवैधानिक तथा कानूनी स्तर प्रदान करने के बावजूद उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हुआ है।

मुख्य शब्द : महिला आन्दोलन, संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान।

प्रस्तावना

भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला आन्दोलन का प्रारंभ 1970 वीं शताब्दी से माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों के सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति पर प्रशन उठाये गए, क्यों कि भारत में स्त्रियों को समान संवैधानिक तथा कानूनी स्तर प्रदान करने के साथ उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। लैंगिक समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं हुआ है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन में भारतीय समाज में स्त्रियों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के मध्य व्याप्त अन्तराल को स्पष्ट करना है। अभी भी महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों के लिए स्वतन्त्र व शक्तिशाली आन्दोलन की आवश्यकता है तथा इसके लिए महिला आन्दोलन की स्वतन्त्र पहचान तथा प्रभाव होना आवश्यक है। भारत सरकार ने भी कहा है कि भारत में अभी भी स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक समानता प्राप्त नहीं है।

पश्चिमी सन्दर्भ की तुलना में स्वतंत्र भारत में महिला आन्दोलनों का प्रारंभ भिन्न था। भारतीय समाज में तथा स्वयं स्त्रियों में अपने अधिकारों के बारे में चेतना थी। महात्मा गांधी ने स्त्रियों की भागीदारी के बिना स्वतंत्रता आंदोलन को अधूरा माना तथा महिलाओं को स्वतंत्रता आन्दोलन में सम्मलित करने के लिए व्यापक रणनीति का संचालन किया था। भागीदारी तथा जागरूकता के कारण संविधान निर्माण के दौरान बिना किसी मतभेद के स्त्रियों को पुरूषों के समान मताधिकार प्रदान किया गया। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषमताओं के साथ–साथ लिंग पर आधारित असमानता को भी स्पष्ट किया गया। यदि आन्दोलन को व्यापक नहीं बनाया जाता है तो वह अभिजन वर्ग द्वारा संचालित ऐसा आन्दोलन बन जाता है, जिसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं होता है लेकिन राजनीतिक दलों के अन्तर्गत काम करने वाले महिला प्रकोष्ठों को उन सभी सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक दबाबों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है, जो सम्पूर्ण समाज में स्त्रियों को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। राजनीतिक दलों के अन्तर्गत कार्य करने वाले महिला संगठनों में जनता दल की महिला दक्षता समिति, साम्यवादी दल की नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन विमन

(एन. एम. आई. डब्लू.), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आल इंडिया डेमोक्रेटिक विमन्स एसोसिएशन (एडवा) आदि प्रमुख है।

धर्म परिवार, नातेदारी तथा अन्य सांस्कृतिक आदश महिलाओं की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं तथा उन्हें सामाजिक जीवन में सम्पूर्ण भागीदारी कर अवसर प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए महिलाओं को अपने विकास के सम्पूर्ण अवसर भी प्राप्त नहीं होते हैं? इस रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि इन कारकों में परिवर्तन मात्र सरकार के प्रयासों से नहीं लाया जा सकता है, स्वयं महिला संगठनों को बहुविवाह तथा दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध आन्दोलन चलाना चाहिए तथा आम महिलाओं तक उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित तथा निष्ठावान सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस रिपोर्ट में प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं को महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठित होकर आन्दोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों के आदान–प्रदान में महिला आन्दोलन को प्रेरणा प्रदान की तथा सशक्त बनाया। 1986 में नैरोबी में विकासशील दशों में महिलाओं पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यह स्वीकार किया गया कि भारत में अभी भी महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक समानता प्राप्त नहीं है तथा अभी भी घर गृहस्थी ही उनका मूल कार्यक्षेत्र है। वास्तविकता यह थी कि उन्हें सामाजिक या आर्थिक समानता प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार 1995 में बीजिंग में हुए चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की तथा इस नीति का निरंतर संचालन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की घोषणा की। इसी कारण संविधान व विधि व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त समान अधिकारों को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लक्ष्य में भारत में महिला आन्दोलन को स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हुआ है। यह स्वीकार कर लिया गया है कि महिलाओं की स्थिति में वास्तविक परिवर्तन मात्र संवैधानिक व कानूनी उपचारों से संभव नहीं है क्योंकि सरकार सांस्कृतिक प्रतिमानों तथा पारिवारिक मापदंडों में परिवर्तन नहीं ला सकती है। इसके लिए निरंतर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रयास करने होंगे। अतः महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के साथ निम्नतम स्तर से महिलााओं में सशक्तीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा।

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सैद्धान्तिक स्तर पर तो पूजा के योग्य माना गया है लेकिन वैदिक युग के बाद से महिला अस्तित्व, आत्मसम्मान, त्याग एवं बलिदान नकारा गया। ऋग्वेद काल में तो संस्कारों की क्रियाओं में भी लिंग, भेद परिलक्षित होने लगा। कन्या हत्या, बाल–विवाह, पुनः विवाह की अस्वीकृति, पर्दा प्रथा में महिलाओं की स्थिति और भी निम्न बना दी। पुरूष प्रधान समाज बनने के साथ अन्यंत दयनीय स्थिति हो गयी और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अधिनियमों का निर्माण किया गया लेकिन अधिनियमों ने महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया और न ही समानता का अधिकार दिया। जब विश्व मंच से महिलाओं के विकास की आवाज उठी तो भारतीय समाज में महिलाओं ने आन्दोलन किए तथा जागरूक एवं सह सक्षम बनाने की सामाजिक नीति लागू की गयी है। महिलाओं को अपने अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिए असमानता व पारिवारिक संरचनाओं के विरूद्ध महिला आन्दोलनों के माध्यम से आवाज उठानी पड़ी।

महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठन निम्नतम स्तर पर काम कर रहे हैं और निष्ठावान गैर सरकारी संगठन इस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाये हैं। महिलाओं की समानता, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलना आदि समस्याओं के विरोध में आन्दोलनों का स्तर बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। समस्याओं को खत्म करने में महिला आन्दोलनों को व्यापक बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों तथा समुदायों की महिलाओं का सक्रिय होना अनिवार्य है और 70 से 80 के दशक में भारतीय महिला आन्दोलनों में पर्याप्त युवा छात्र व युवा छात्रायें सम्मलित थीं। परिणामस्वरूप संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल कानून बनाकर परिवर्तन लाने के प्रयास सक्रिय हुए हैं और महिला उत्पीड़न से सम्बंधित कानून बनाये गए हैं। दहेज विधेयक, बाल विवाह विधेयक तथा उत्तराधिकार विधेयकों में सुधार किए गए हैं। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को वास्तविक बनाने के लिए उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया और सरकारें महिला कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत मां तथा परिवार कल्याण के लिए अधिक से अधिक व्यय करने लगीं। सरकारी नीतियों के आधार पर विधि निर्माण में महिलाओं को संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना में भी प्रसार हुआ।

सती, जौहर और देवदासी जैसी परम्पराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और महिला आन्दोलन के परिणाम स्वरूप, आधुनिक भारत में काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। ग्रामीण समाज में भारतीय महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा को आज भी जीवित रखा गया है और विशेषकर भारत के वर्तमान कानून के तहत एक गैरकानूनी कृत्य होने के बाबजूद बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। इन सब समस्याओं को देखते हुए कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडित रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की। भोपाल की बेगमें भी इस अवधि में महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया। चन्द्रमुखी बसु, कांदबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जैसी कुछ शुरूआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं, जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां हासिल कीं। भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया, जिसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं

में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग की स्थापना की गई जो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के कल्याण व उनकी समस्याओं के निवारण हेतु संकल्प लिया। दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, पारिवारिक हिंसा के लिए राज्यों में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ बनाये गए और उनमें उच्च स्तरीय महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। इन सभी प्रयासों के बाबजूद महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक प्रस्थिति में सुधार के लिए बहुत कुछ सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में उद्योगों के निजीकरण के साथ परिवार कल्याण की नीतियों का विकास नहीं हुआ है। अतः विभिन्न स्तरों पर महिला आन्दोलन का बहुआयामी स्वरूप बना रहना आवश्यक है। यदि महिला आन्दोलन व जागरूकता का गुण अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों के प्रति जागरूक हैं तो विभिन्न स्तरों पर होने वाले आन्दोलनों को एक सूत्र में बांधना कठिन नहीं होगा। अभी भी सामाजिक, आर्थिक संदर्भ में महिलाओं को दमन, अन्याय व असमानता का सामना करना पड़ रहा है। भारत में महिला आन्दोलन को एक व्यापक एवं संगठित बनाना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *लेस्ली केलमेन – विमन एंड मूवमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया, एशियन सर्वे, खंड xxix संख्या 10 अक्टूबर 2001 पृष्ठ 341।*
2. *भारत सरकार महिला कल्याण विभाग, मानव संसाधन, मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। नई दिल्ली 2012 पृष्ठ 10।*
3. *वीना अग्रवाल – द फैमिली इन पब्लिक पॉलिसी, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च 2008।*
4. *ललिता पानिकर – टायरसम टोकनिज्म : ओवरलुकिंग हाफ द इलेक्ट्रोरेड, द टाइम्स आफ इंडिया न्यू दिल्ली, 20 फरवरी 2004।*
5. *भरत डोगरा – विमन्स पावर इन पंचायत कस्टम अवे कास्ट्स, द टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली 6 जुलाई 2001।*
6. *नीरा देसाई – वुमन इन मॉडर्न इण्डिया, वोटा एंड कम्पनी पब्लिशर्स, मुम्बई, 1998,पृ0 287।*
7. *राम आहुजा – राइटस ऑफ विमेन, ए फेमिनस्ट परस्पेक्टिव, रावत पब्लिकेशनस, जयपुर, 1992।*